14/6/19	प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता हाजिर नहीं। आज दिन अदालत उठने तक बार बार आवाजें लगवाई गई। परन्तु उनकी ओर से कोई अदालत उपस्थित नहीं आया अतः प्रकरण क्रमांक पैरवी अभाव हाजिरी में खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद खर्चा साबित है। आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 15:34:35 IST
Reason: SelfAttested